न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 147 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कितीसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपुत निवासी घोडो का चौक नई सडक जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राज0	1.	अशोक गहलोत पुत्र सम्पतराज
	2.	राकेश गहलोत पुत्र सम्पतराज
	3.	सुरेश गहलोत पुत्र सम्पतराज जातियान माली निवासीगण मेला चौक सोजत सिटी
	4.	मथुरादेवी पत्नि ताराराम बावरी निवासी सुरायता तहसील सोजत जिला पाली
	5.	मिश्रीदेवी पत्नि ताराराम जाति बावरी निवासी सुरायता तहसील सोजत जिला पाली
	6.	चेनाराम पुत्र गेनाराम
	7.	पेमाराम पुत्र गेनाराम
	8.	भूरकी देवी पत्नि गेनाराम
	9.	मांगीलाल पुत्र गेनाराम जातियान मेगवाल निवासीगण सुरायता तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
	10.	तहसीलदार सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

1. **श्री महेन्द्र चौधरी रवीन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित**
2. **तहसीलदार सोजत उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांकः 20/3/24

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सुरायता तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2506 से 2513 व 2516 व 2518 कुल खसरा 10 कुल रकबा 28.7800 हैक्टर आई हुई स्थित है।

प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के पडौस में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थीया की कृषि भूमि की माठो के मिलते हुए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें माठो का सही सीमांकन नही होने से मोके पर सीमांकन का माठों का माठो का निर्धारण किया जाना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीया ने पूर्व में पेमाईश हेतु आवेदन का वर्ष 2021 मे पेश किया गया था। लेकिन सही पैमाईश नही हो सकी तथा मौके पर सभी खातेदार उपस्थित भी नही हो रहे थे। जिसमें पैमाईश करने से पूर्व एवं मुटाम लगाने में बाधा उत्पन्न हो रही थी ऐसी स्थिति में पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में पैमाईश किया जाना आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

है। वादस्थ आराजी के पडौसी खातेदार जो अप्रार्थीगण है जिसके द्वारा माठो को परिवर्तित कर दिया गया है। प्रार्थीया की कृषि भूमि मौके पर रकबा कम हो चुका है। प्रार्थीया द्वारा पूर्व मे उक्त कृषि भूमि की पेमाईश हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन माठो का विवाद होने लगा जिससे उक्त कृषि भूमि की पैमाईश नही हो सकी ऐसी स्थिति में पत्थरगडी के जरिये पैमाईश करवाया जाना कानूनन आवश्यकएवं न्याय संगत। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम सुरायता तहसील सोजत में प्रार्थी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2506 से 2513 व 2516 व 2518 कुल खसरा 10 कुल रकबा 28.7800 हैक्टर भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थर गढी के जरिये मुटाम लगवाया जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 09 बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर अनुपस्थित रहने से दिनांक आजे इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण हर समय प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी कर विवाद करते रहते है तथा तमाम खातेदारान के मध्य मौके पर झगड़ा विवाद होने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहती है, प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार मौखिक रूप से वादस्थ भूमियों का आपसी सहमति से सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया गया, लेकिन अप्रार्थीगण मानने को तैयार नही हुए, और प्रार्थीगण को आये दिन उनके हक हिस्से की भूमि व कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी कर विवाद रहते रहते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर विवाद होने व अप्रार्थीगण खातेदारान सहमत नही होने से सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्ढी नही करवायी जा सकी। जिससे मौके पर सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी की जाकर मुटाम कायम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 अधिवक्ता प्रार्थिया पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी तथा अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके सीमांकन किये जाने तथा मौके पर मुटाम लगवाये जाना उचित समझते हैं।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत पटवार हल्का सोजत चक प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण खातेदारी कृषि खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.0750 हैक्टर, 2 खसरा नम्बर 1706/1 रकबा 0.0750 है, खसरा नम्बर 1706/1 रकबा 0.0750 हैक्टर, खसरा नम्बर 1706/06 रकबा 0.0750 हैक्टर । कृषि भूमि का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी संबन्धित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि का सीमांकन किया जाकर मुटाम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

लगवाये जाने तथा मौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना प्रस्तुत करें। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 20/3/24 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)